

न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ (अलवर)

12 तारीख दायर 05/08/2020 दिनांक निर्णय 28/09/2020
उनवान

है छुट्टी करौठ बनाम रामवत्स

पत्रवली मु. नायब तहसीलदार पेश हुई। उप./अनु. जवाब पेश किया/नहीं करना चाहता है।
किसल बन्द की जानी है। अतिक्रमी का स. 207.7 का नया कब्जा होना साबित होता है।
किसल बेदखली है।

सा है कि-

है श्री रामवत्स पुत्र/पत्नी रामकिशोर
ब्रह्मन निवासी करौठ

किसल नं. 336/2018 रकबा 0.06 किस्म चरगाह वाके ग्राम.

करौठ से बेदखल किया जाता है, तथा शरह लगान 0.12 की.


50 गुणा में मु. 6.00/- रुपये कायमी कराई जावें

किसल पत्रवली की पालनार्थ लिखा जावें।

किसल निलामी हेतु गिरदावर/कानूनगो को लिखा जावें।

रा. ले. सं. 4 वर्ष 2020-21
के पृष्ठ संख्या 65 पर चा.पै. 06/-
राशि कायम किये गये।

पिछठ
त. रा. लेखाकार


नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)
राजगढ़ (अलवर)